

श्री. लक्ष्मी लक्ष्मी
फर्द अहकाम

बनाम

उल्लाहा वी जाले

नाम न्यायालय

सुपरीकर अधिकारी

केस संख्या

जयपुर जिले (सागानेर)

35/2023

(जा.पा. विविध)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

12/12/23 - चुकी है। अतः तालिका स्वीकारा गयी है। अप्रार्थीगण स्वयं या अधिवक्ता कोर्ट उपस्थित नहीं हुए थे। अतः अप्रार्थीगण को तालिका के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं।
 प्रार्थी की बहस प्रार्थनापत्र द्वारा III, 128 पर सुनी गई। पत्रावली वास्तु निर्माण प्रिनॉ 18.12.23 को देखा है।

सुपरीकर अधिकारी
 जयपुर जिले (सागानेर)

18.12.23

पत्रावली पेशा हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस जा.पा. द्वारा III, 128 के तर्कों पर मजबूत किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया।
 प्रार्थी द्वारा स्वयं की विधिकत विकसित डिजी मुका की पत्थरगुदी, सीमापारन कावत अनुसंधान-बादा गया है। जितके कावत अप्रार्थीगण की कोर से कोई आपत्ति व उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः न्यायिक व दृष्टिकर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाकर न्यायालय सागानेर को निर्देशित किया जा रहा है कि यदि किसी संक्रम न्यायालय का स्थान आदेश प्रभावी नो हो लेंगे शक्ति प्रभावित ना हो लेंगे न्यायालय आदेश व डिजी प्रिनॉ 17.10.22 को पालना सुनिश्चित करते हुए प्रार्थनापत्र मधीन वूमि आ.सं.नं. 473/1 शक 0-2733

सुपरीकर अधिकारी
 जयपुर जिले (सागानेर)

फॉर्म अहकाम

बनाम कैलाशचन्द व कनक
 (जा. पा. वि. वि. सं.) 35 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही अप्रत्यक्ष विस्तृत रूप से विशेष विवरण

8.12.23 श्री. भूमि का पृथक् रकाम अनुसार विधिवत सीमाबद्ध करने हुए स्थाई सीमा चिह्न (पत्थरगाठी) कायम किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया। तदनुसार तहसील जरीदों विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर संलग्न है।
पत्रावली फेरल शुमार होकर 20 नंबर से कम है। बादत कमील शायिल पपतर हो
उप सचिव अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)